दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सीएसआर एवं धारणीयता नीति, प्रक्रिया एवं पद्धति

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने 09.04.2010 को कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देश जारी किए । ये दिशानिर्देश एसटीसी द्वारा अपनाए गए और संस्थान में कार्यान्वित किए गए । आगे, डीपीई ने 01.04.2013 से लागू सीएसआर एवं धारणीयता पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया । उपर्युक्त दिशानिर्देशों का खंड 1.3.4 निर्धारित करता है कि संस्थान में डीपीई दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक सीपीएसई ने अपनी नीति, प्रक्रिया और पद्धति बनाई है । डीपीई दिशानिर्देशों का खंड 1.11.4 बताता है कि ये दिशानिर्देश नए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिवर्तित होंगे और सेबी दिशानिर्देशों को जैसे और जहाँ रखे जाते हैं और लागू किए जाते हैं, अद्यतन करेंगे । इसलिए, एसटीसी ने कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा परिवर्तित तथा 30.08.2013 को अधिसूचित डीपीई दिशानिर्देशों को अपनाया है।

2. सीएसआर एवं धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में अन्य बातों के साथ ही एसटीसी निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं को अपनाता है :-

   I) कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं धारणीयता, व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी धारणीयता तरीके से आयोजित करने के लिए अपने पणधारकों को कंपनी की प्रतिबद्धता है। पणधारकों के प्रति बड़े स्तर पर कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यवसाय सहयोगी, क्लाइंट, सिविल सोसाइटी ग्रुप, सरकारी और गैरसरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समाज शामिल हैं।

   II) कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं धारणीयता, आवश्यक रूप से व्यवसाय जिम्मेदारी को आयोजित करने का एक ढंग है।

   III) एसटीसी, निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में बनाए गए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी (निदेशक मंडल/सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति) के अनुमोदन से निष्पादन हेतु सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों का वचन देगा । अपवाद की स्थिति/परिस्थितियों के कारण, प्रबंधन के अनुमोदन से निष्पादन हेतु एक परियोजना आरंभ की जाती है, जहॉ तक संभव हो, बोर्ड की अगली बैठक में कार्योत्तर मंजूरी ली जाएगी।

   IV) एसटीसी के निदेशक मंडल की संभाव्यता में, सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति को सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं/गतिविधियों के अनुमोदन हेतु प्राधिकार दिया

जाता है, हाथ में ली गयी सभी परियोजनाओं का ब्यौरा निदेशक मंडल को, जहॉ तक हो सके, आगामी बैठक में बताया जाएगा।

V) एसटीसी, संस्थान के उद्देश्यों के मद्देनजर समय-समय पर अपनी सीएसआर और धारणीयता नीतियों की समीक्षा करेगा । एसटीसी अपनी सीएसआर और धारणीयता नीतियों और गतिविधियों को अपने व्यवसाय लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ जोड़ने के सभी प्रयत्न करेगा।

VI) सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में जब भी संशोधन किए जाते हैं, वे इस विषय पर एसटीसी नीति के कागजात में विधिवत सम्मिलित होंगे । आगे, ये दिशानिर्देश कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों द्वारा परिवर्तित होंगे तथा सेबी दिशानिर्देशों से अद्यतन होंगे।

VII) एसटीसी सीएसआर – एसडी नीति, एसटीसी के कार्पोरेट कार्यालय और/या शाखाओं द्वारा की गयी सभी सीएसआर और धारणीयता पहलों पर लागू होगी।

3. उद्देश्य

एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में, एसटीसी की सीएसआर एसडी नीति के उद्देश्य को समाज में हाशिये वाले और शोषित वर्गों/समुदायों को सशक्त करने हेतु सीएसआर परियोजनाओं को योग्य बनाने के माध्यम से बढ़ोतरी और समुचित विकास सम्मिलित करने के लिए योगदान करना है।

4. योजना बनाना

4.1 योजना बनाना और सीएसआर तथा धारणीयता परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन एसटीसी की सीएसआर एवं धारणीयता नीति पर आधारित होगा । निधियों की उपलब्धता के तहत, सीएसआर परियोजना (ऍ), गतिविधियों के वार्षिक लक्ष्य, चिह्नित निधियों और निष्पादन की आवधिकता को परिभाषित करके लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि परियोजनाओं में डिजाइन किये जाऍंगे।

4.2 परियोजनाओं को स्थानीय/वाणिज्यिक कार्यों और गतिविधियों की परिधि में लाने को प्राथमिकता दी जाएगी। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एसटीसी, योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा पहचाने गए एक पिछड़े जिले में कम-से-कम एक परियोजना रखेगा। एसटीसी, समाज के कमजोर/हाशिये वाले वर्गो के हित के लिए सीएसआर पहलों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेगा। कमजोर वर्गों में अनु.जाति, अनु.ज.जाति, अन्य

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ और बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार, बुजुर्ग तथा विकलांग व्यक्ति आदि शामिल होंगे।

4.3 एसटीसी निधियों की उपलब्धता के तहत, सीएसआर और धारणीयता की प्रत्येक 2 श्रेणियों में कम-से-कम एक परियोजना को चुनने का प्रयास करेगा ।

4.4 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदा/विनाश आदि के लिए योगदान किया जा सकता है।

4.5 एसटीसी के कर्मचारी किसी दिए हुए वर्ष में सीएसआर और धारणीयता पहलों के लिए आबंटित बजट से की गयी गतिविधियों के प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं होंगे । तथापि, स्कूलों, अस्पतालों, प्रशिक्षण संस्थाओं और अन्य ऐसी अवस्थापना के मामले में, जो प्राथमिक रूप से पर्यावरण सुरक्षा और/या शोषित समुदाओं, वंचित वर्गों और व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए बनाए गए हैं, एक अपवाद बनाया जा सकता है किन्तु जिसकी सुविधाएँ एसटीसी के कर्मचारियों और उनके परिवारों द्वारा भी प्राप्त की जाती हैं।

4.6 एसटीसी अन्य सीपीएसई के साथ संयुक्त रूप से परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हाथ बढ़ा सकता है तथा उनके संसाधनों और क्षमताओं को इकट्ठा कर सकता है।

5. आवश्यकता/आधारभूत सर्वेक्षण का आकलन

किसी परियोजना को निष्पादन हेतु लेने के लिए मांगे गए लाभार्थियों की आवश्यकताओं के आकलन की अपेक्षा होगी । आधारभूत सर्वेक्षण सभी मामलों में अपेक्षित नहीं होगा यदि लाभार्थियों की अपेक्षाओं का संकेत देने वाला दस्तावेजी साक्ष्य है।

6. संस्थागत तंत्र एवं सीएसआर प्रक्रिया

6.1 प्रबंधन, महा प्रबंधक/मुख्य महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को **"सीएसआर और धारणीयता हेतु नोडल अधिकारी "** के रूप में नामित करेगा । नोडल अधिकारी, सीएसआर वार्षिक कार्रवाई योजना/अर्धवार्षिक समीक्षा को पुष्ट करेगा और इसे कंपनी सचिव के माध्यम से विचार हेतु सीएसआर पर गठित बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखेगा । नोडल अधिकारी, संगठन के भीतर और बाहर यानि आंतरिक तथा बाह्य पणधारकों को कवर करते हुए, योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी तथा सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों के मूल्यांकन की समीक्षा करेगा।

6.2 एक सीएसआर कक्ष होगा जो नोडल अधिकारी द्वारा आकलित किए जाने योग्य अपेक्षा के अनुसार एक मुख्य प्रबंधक/उप महा प्रबंधक और अन्य अधिकारियों तथा स्टॉफ के अधीन होगा । सीएसआर कक्ष निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :-

- सीएसआर एवं धारणीयता परियोजनाओं/गतिविधियों, परियोजना लोकेशन, प्रत्येक परियोजना/गतिविधियों का बजट आबंटन/अनुमान, योजना एवं प्रोगामिंग, वार्षिक बजट तैयार करने तथा उसे सीएसआर पर बोर्ड स्तर से नीचे/बोर्ड स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावों का संकेत करते हुए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।
- सीएसआर/धारणीयतापरियोजनाओं पर हुए संभावित खर्चे का प्रस्ताव करना।
- सीएसआर – एसडी गतिविधियों / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं निगरानी।
- पूर्ण की गयी गतिविधियों / कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन।
- प्रगति रिपोर्ट / विशेष रिपोर्ट यदि कोई हो, कि तैयारी।
- नोडल अधिकारी द्वारा सौंपी गयी कोई अन्य जिम्मेदारी।

6.3 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी के 2 टियर ढॉचे होंगे जैसे :-

1) स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति। सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति में शामिल हैं :-

1. स्वतंत्र निदेशक	- अध्यक्ष
2. निदेशक (कार्मिक)	- सदस्य
3. निदेशक (वित्त)	- सदस्य
4. सीएसआर हेतु नोडल अधिकारी	- विशेष आमंत्रित

सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में कम-से-कम एक बार और वर्ष में 2 बार होगी ।

।।) सीएसआर पर बोर्ड स्तर से नीचे की समिति की अध्यक्षता नोडल अधिकारी तथा प्रबंधन द्वारा नामित अन्य अधिकारी करेंगे। सीएसआर कक्ष का प्रमुख इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

6.4 सीएसआर कक्ष सीएसआर एवं धारणीयतानीति तथा पहलों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होगा तथा प्रस्तावित परियोजनाओं को नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तर से नीचे की समिति के समक्ष रखेगा । सामान्यत:, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति से नीचे की सिफारिश पर सीएसआर और धारणीयतापर बोर्ड स्तर से नीचे की समिति द्वारा विचार किया जाएगा । इसलिए, सिफारिश किया गया प्रस्ताव सीएमडी के देख लेने के बाद सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा । वार्षिक योजना/परियोजनाओं को मंजूर करने का अधिकार सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति में निहित होगा । परियोजनाओं के निष्पादन/पूर्ण होने

की स्थिति रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष यह रिपोर्ट करने के लिए रखी जाएगी जैसा कि समय-समय पर सही माना गया है।

6.4.(I) परियोजना पूर्व गतिविधियों (आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन) और परियोजना के बाद की गतिविधियों (प्रभाव आकलन/परियोजना मूल्यांकन) हेतु, सक्षम प्राधिकारी प्रस्ताव/आए हुए खर्चे की मंजूरी के लिए मंजूरशुदा बजट के अंदर बोर्ड स्तरीय समिति से नीचे की सिफारिश पर निदेशक (कार्मिक) को भेजे जाएँगे।

6.4.(II) सीएसआर कक्ष के यात्रा व्यय/निगरानी समिति/बाहरी एजेंसी सहित अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए, सक्षम प्राधिकारी संगठन की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार होंगे ।

7. **बजट का आबंटन**

7.1 सीएसआर एवं धारणीयता तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष के लिए सीएसआर एवं धारणीयता गतिविधियों/परियोजनाओं हेतु बजट का आबंटन होगा।

7.2 कंपनी अधिनियम 2013, सीएसआर एवं धारणीयता हेतु निधियों के सृजन हेतु प्रावधान करता ह। यह बताता है कि प्रत्येक कंपनी के पास 500 करोड़ रूपए या अधिक का निवल लाभ या 1000 करोड़ रूपए का कारोबार या 5 करोड़ रूपए या अधिक का निवल लाभ है, यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3 तत्काल पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभों का कम-से-कम 2 प्रतिशत खर्च करती है। किसी विशेष वित्त वर्ष में नकारात्मक निवल लाभ की स्थिति में, सीएसआर एवं धारणीयता गतिविधियों हेतु विशेष निधियों को चिह्नित करना अनिवार्य नहीं होगा ।

7.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बनाया गया सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों/ परियोजनाओं हेतु आबंटित बजट उसी वर्ष में खर्च किया जाना अपेक्षित है । यदि किसी कारण वर्ष के बजट का उपयोग नहीं किया जाता तो वह खत्म हो जाएगा । हालांकि यह अगले वर्ष की सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों पर खर्च हेतु आगे लाया जाएगा । तथापि, उस वर्ष के लिए बनाए गए सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों पर पूरे बजट को खर्च न किए जाने के कारण बोर्ड के समक्ष रखे जाएँ । एसटीसी किसी वर्ष के लिए उपयोग न किए हुए बजट को अगले 2 वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च करने का प्रयत्न करेगा । डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उपयोग न किए हुए बजट को अगले 2 वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च नहीं किया जाता है तो यह राशि "धारणीयता निधि" में स्थानांतरित हो जाएगी ।

7.4 सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों हेतु चिह्नित वार्षिक बजट का कम-से-कम 80 प्रतिशत परियोजना रूप में गतिविधियों के कार्यान्वयन पर खर्च किया जाएगा। अपवाद मामलों में, जहॉ सीएसआर और धारणीयता गतिविधियॉ परियोजना रूप में कार्यान्वित नहीं की जाती हैं, ऐसा करने के कारण लिखित में रिकार्ड किए जाएँगे।

7.5 सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों हेतु वार्षिक बजट का 5 प्रतिशत तक आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु चिह्नित किया जाए, जिसमें प्राकृतिक आपदा, विनाश के दौरान किए गए राहत कार्य और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/या राष्ट्रीय विनाश प्रबंधन प्राधिकरण को राहत कार्य शामिल होंगे । ऐसे योगदान सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों के समान वैध माने जाएँगे । अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और लिखित रूप में रिकार्ड किए गए कारणों द्वारा समर्थित, आपातकालीन आवश्यकताओं के प्रावधानों के तहत बजट का आबंटन उस विशेष वर्ष में सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों हेतु आबंटित बजट का 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

7.6 आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन अध्ययन और मूल्यांकन पर, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, यात्रा आदि और कंपनी की सीएसआर और धारणीयता कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए आंतरिक या बाह्य सभी पणधारकों को जोड़ने हेतु कार्पोरेट सम्प्रेषण रणनीतियों पर हुआ खर्च इस उद्देश्य हेतु आबंटित बजट से सीएसआर और धारणीयता खर्च के रूप में माना जाएगा।

8. रणनीतिक योजना बनाना, निगरानी और मूल्यांकन

सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति कंपनी की सीएसआर और धारणीयता नीतियों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी और नोडल अधिकारी के माध्यम से अपेक्षित दिशा में कंपनी की सीएसआर और धारणीयता कार्यसूची को लेने के लिए अनुकूल नीतियॉ और रणनीतियॉ बनाने के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगी ।

9. कार्यान्वयन कार्यसूची/मूल्यांकन एजेंसी

9.1 जहॉ तक संभव हो, एसटीसी विशेष ज्ञान और कार्यकुशलता वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करेगा । एसटीसी अपनी जनशक्ति और संसाधनों सहित गतिविधि का कार्यान्वयन करेगा । यदि वह परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपनी संगठनात्मक सक्षमता को अनुभव करता है । ऐसे मामले में, एसटीसी के स्टॉफ के इसके साथ जुड़े होने पर भी एक बाहरी एजेंसी द्वारा निगरानी की जानी है। हर दृष्टि से, मूल्यांकन हमेशा एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी को सौंपा जाएगा।

9.2 बाहरी एजेंसियों के साथ जुड़ना या साझीदारी करना एजेंसियों पर आधारित होगा जो सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में अनुभवी और कुशल होंगी। विशेषज्ञ एजेंसियों में सरकारी विभागों, अर्धसरकारी या गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि शामिल होंगी । बाहरी एजेंसियों/एनजीओ का जुड़ना एसटीसी के निर्णय पर होगा ।

9.3 एसटीसी अपनी सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन खोजने में नेशनल सीएसआर हब की सेवाएँ ले सकता है । सेवा शुल्क नेशनल सीएसआर हब और कंपनी के मध्य तय किया जाएगा । सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु नेशनल सीएसआर हब की सेवाएँ लेने में आया खर्च सीएसआर बजट से होगा।

9.4 निगरानी समय-समय पर की जाएगी । परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जुटी बाहरी एजेंसी, यदि कोई हो, पर निगरानी करने और मूल्यांकन के कार्य हेतु विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में, अंतिम मूल्यांकन हमेशा बाहरी एजेंसी को सौंपा जाएगा ।

10. एमओयू मूल्यांकन हेतु प्रमुख निष्पादन संकेतक

10.1 डीपीई के दिशानिर्देश, सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पालन हेतु एमओयू लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विशेष महत्व सहित निम्नलिखित प्रमुख निष्पादन संकेतक निर्धारित करते हैं :-

I) सीएसआर और धारणीयता कार्यसूची को संस्थान के भीतर अंतर्निष्ट करने में कर्मचारियों और उच्च प्रबंधन के सम्मिलित होने की डिग्री।
II) सीएसआर और धारणीयता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में, जो वर्ष के दौरान किया जाता है, की सफलता की डिग्री।
III) इन गतिविधियों (साथ ही साथ वार्षिक बजट आबंटन) पर हुआ खर्च ।
IV) सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में 2 टियर संस्थागत ढॉचे का प्रभाव।
V) एक अच्छी कार्पोरेट संप्रेषण रणनीति को अपनाने के माध्यम से प्रमुख पणधारकों को जुटाने में प्राप्त सफलता और किए गए प्रयास।
VI)धारणीयता रिपोर्टिंग और डिस्कलोजर पद्धति तथा प्रैक्टिस को अपनाना।
जहॉ तक संभव हो, यह सीएसआर कक्ष की जिम्मेदारी होगी कि कमीशनिंग की अवधारणा से सीएसआर कार्य योजना के प्रत्येक चरण में विशेष रिमेक सहित उपर्युक्त संकेतकों को उचित रूप से शामिल करना।

10.2 संस्थान के भीतर सीएसआर कार्यसूची की संवर्द्धन के संबंध में, सीएसआर कक्ष संस्थान की सीएसआर और धारणीयता नीतियों के संबंध में समय-समय पर स्टॉफ को संवेदनशील बनाएगा।

11. इस नीति की व्याख्या में किसी कठिनाई के मामले में, विषय अंतिम राय के लिए निदेशक (कार्मिक) को भेजा जाएगा।